View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by CMFRI Digital Repository

ISSN: 0972 - 2351

# मत्स्यगंधा
## 2004

## उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी और जलकृषि

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
कोचीन - 682018

# भारत में समुद्री मात्स्यिकी के प्रभावी प्रबन्धन के लिए आचरण संहिता का प्रयोग

**के.जी. मिनी और सोमी कुरियाकोस**
केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन, केरल

## आमुख

भारत के समाज-आर्थिक विकास में प्रमुख योगदाता व्यवसायों में जलकृषि सहित मात्स्यिकी का गणनीय स्थान है। देश की खाद्य सुरक्षा में इसका योगदान परम प्रधान है। इसको एक सशक्त आय और रोज़गार स्रोत के रूप में भी स्वीकार किया गया है। संयुक्त राष्ट्रों के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ) द्वारा किये गये आकलन के अनुसार प्रायः 6 मिलियन लोग मछली पकडने के काम में और बहुत लोग मछली संसाधन, संभरण और विपणन के कार्यों में लगे हुए हैं। यह सेक्टर 5,300 करोड रु. की विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध कराता है जो कुल निर्यात अर्जन के लगभग 3.4% तक आकलित किया गया है। देश की आर्थिकी में यह सेक्टर द्वारा कुल योगदान जी डी पी का लगभग 1.3% है।

## समुद्री मात्स्यिकी की स्थिति

वर्ष 1950 में केवल 0.5 मिलियन टनों में रहा समुद्री मात्स्यिकी उत्पादन क्रमानुगत बढ़कर वर्ष 2003 में 2.62 मिलियन टन तक बढ गया। वर्ष 1977 में अनन्य आर्थिक मेखला (ई ई इज़ड) की घोषणा के पश्चात, भारत को प्राप्त मत्स्यन क्षेत्र पश्चिमतट में 0.86 मिलियन कि मी$^2$, पूर्व तट में 0.56 मिलियन कि मी$^2$ और आन्डमान निकोबार क्षेत्र में 0.60 मिलियन कि मी$^2$ सहित लगभग 2.02 मिलियन कि मी$^2$ है। हमारे देश को 8.129 कि मी तक लंबी तटरेखा उपलब्ध है। पूर्व तट, पश्चिमतट और आन्डमान निकोबार द्वीप समूहों से वर्ष 2003 के अनुमानित मछली अवतरण क्रमशः 8.3 लाख टन, 17.6 लाख टन और 0.3 लाख टन हैं। वर्ष 2003 के प्रमुख मछली उत्पादक के रूप में केरल उभरकर आया और गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु अनुगामी रहे।

पिछले 50 सालों के दौरान उत्पादन में लगभग छह गुनी वृद्धि होने पर भी हाल के निरीक्षण के अनुसार यह 2.7 मिलियन टन में स्थिर देखा जाता है। जनसंख्या में निरन्तर बढ़ती के साथ साथ आधुनिकीकरण और सार्वभौमीकरण ने मात्स्यिकी पर कई प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जनसंख्या वृद्धि और सुधरे गये जीवन स्तर के साथ आहार के कार्यों में हुई विशेष अभिरुचि मछली और जलकृषि उत्पादों की माँग में कहने योग्य वृद्धि खड़ा कर दी। माँग में हुई बढ़ती और तदनुसार मूल्य में हुई आनुपातिक बढ़ती ने परंपरागत एवं नए मत्स्यन तलों में अधिक मानवशक्ति और पकड दक्षता उपलब्ध मत्स्यन पोतों की प्रस्तुति के लिए प्रोत्साहन दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकतर वाणिज्यिक प्रभवों के आकलित जैविक टिकाऊपन के आगे मत्स्यन बेडाओं की वर्तमान संग्रहण दक्षता कई गुनी अधिक है। आज के अवतरणों का अभिलक्षण यह व्यक्त करता है कि अभितटीय जलक्षेत्रों की संपदाओं का पूर्ण रूप से विदोहन हो रहा है अर्थात् वर्तमान स्तर से उत्पादन बढ़ाने की साध्यता सीमित है। समुद्री प्रग्रहण मात्स्यिकी विकास की पहली अवस्थाओं में मात्स्यिकी संपदाओं का कम विदोहन होता था। बाद में, विशेषतः 1990 के सालों में अधिकतर संपदाओं का पूर्णतः या अतिविदोहन होने लगा। इसके परिणामस्वरूप समुद्री मात्स्यिकी की वर्तमान स्थिति टिकाऊ उत्पादन के समुचित प्रबंधन उपायों के तेज़ प्रबन्धन के लिए चेतावनी देती है।

## मात्स्यिकी प्रबन्धन की वर्तमान स्थिति

संपुष्ट आहार की लभ्यता सुनिश्चित करना, लाभकर रोज़गार और आर्थिक भलाई मात्स्यिकी प्रबन्धन का लक्ष्य है। मात्स्यिकी प्रबंधन के ज़रिए इन भलाइयों को टिकाऊ पकड के अल्पावधि और दीर्घावधि लाभों, स्थिर रोज़गार, स्थिर आर्थिक

पत्रव्यवहार : श्रीमती के.जी. मिनी, वैज्ञानिक
केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान,
पी.बी. सं. 1603, कोचीन - 682 018, केरल

लाभ सुनिश्चित करके उच्चतम सीमा तक बढ़ाना चाहिए एवं भविष्य केलिए संपदाओं को परिरक्षित करना चाहिए। भारत में समुद्री मात्स्यिकी का प्रबन्धन केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 57 की सूची 1 के अनुसार सीमांतर्गत जलक्षेत्र के परे मत्स्यन और मात्स्यिकी संघ के निर्णयाधिकार में उल्लिखित किया जाता है। जब कि प्रविष्टि 21 की सूची-II मात्स्यिकी को राज्य विषय बताया गया है। दोनों प्रविष्टियों को एक साथ पढ़ लिया जाए तो यह व्यक्त हो जाता है कि सीमांतर्गत जलक्षेत्रों की सीमा में मत्स्यन और मात्स्यिकी राज्य के क्षेत्राधिकार में है, जबकि सीमांतर्गत जलक्षेत्रों के परे यह अनन्यतः संघ का अधिकार है। कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेरी-उद्योग विभाग के मात्स्यिकी प्रभाग देश के मात्स्यिकी विकास और प्रबन्धन के एक केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्यरत है। यह देश के मात्स्यिकी सेक्टर के विकास के लिए योजनाएं रूपायित करती है और मात्स्यिकी के विकास और प्रबन्धन के लिए समय समय पर नीति निर्देशों की जारी करती है। इसमें केन्द्रीय सरकार की सहकारिता भी होती है जो मात्स्यिकी अनुसंधान चलाता है और राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए निधीयन का प्रबन्धन करता है।

राज्य और संघ शासित सरकारों के मात्स्यिकी विभाग अपने अपने क्षेत्र के मात्स्यिकी विकास और प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार है। मात्स्यिकी विभागों का परम लक्ष्य हैं पोतों के अवतरण और घाट के लिए प्रबन्धन करना, समुचित विपणन सुविधाएं उत्पन्न करना, विविध मात्स्यिकी विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकीय एवं वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार के साथ संबन्ध करते रहना। संपदाओं के टिकाऊ विकास के लिए भारत ने वर्ष 1976 में संविधान का संशोधन किया और संसद ने वर्ष 1996 में सीमांतर्गत समुद्र, महाद्विपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक मेखला और अन्य समुद्री क्षेत्रों का विधीकरण किया। इसके अनुवर्ती के रूप में केन्द्रीय सरकार ने समुद्री संपदाओं के न्यायिक विदोहन, सुरक्षा और प्रबन्धन के लिए कई विधि-निर्माण किया।

**उत्तदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी के लिए आचरण संहिता**

संयुक्त राष्ट्रों के खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक "मात्स्यिकी आचरण संहिता" की तैयारी की जो पारिस्थितिकी और जीववैविद्यता को आवश्यक परवाह देते हुए जलीय जीव संपदाओं के प्रभावी सुरक्षा, प्रबन्धन और विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी व्यवहार के लिए सिद्धान्त और अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। यह संहिता मात्स्यिकी के पौष्टिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणिक और सांस्कृतिक प्राधान्य और मात्स्यिकी सेक्टर से संबंधित सभियों के हितों को यथोचित मान्यता देती है। यह संहिता संपदाओं के जैविक अभिलक्षणों एवं पर्यावरण तथा उपभोक्ताओं और अन्य प्रयोक्ताओं के हितों पर भी ध्यान देती है। देशों और मात्स्यिकी के काम में लगे उन सभियों को लक्ष्य करके टिकाऊ मात्स्यिकी विकास के लिए इस संहिता के पालन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

इस संहिता का कार्यक्षेत्र सार्वभौमिक है। यह एफ ए ओ के सदस्यों एवं असदस्यों, मत्स्यन सत्ताओं, सभी प्रकार के संगठनों, मछुआरों, मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के संसाधन एवं विपणन में लगे हुए लोगों याने कि मात्स्यिकी संपदाओं की सुरक्षा और मात्स्यिकी के प्रबन्धन से संबंधित हर व्यक्ति की ओर निर्देशित है। इस संहिता के मूलपाठ को 31 अक्तूबर, 1995 को (खाद्य एवं कृषि संघठन) एफ ए ओ के 28 वाँ सत्र में स्वीकार किया गया था। एफ एओ विविध भाषाओं में इस संहिता का प्रचार कर रहा है और इसके कार्यान्वयन का प्रोत्साहन दे रहा है।

इस संहिता के देशीय एवं स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन को बल देने की दृष्टि में एफ ए ओ ने निम्नलिखित विषयों पर प्रौद्योगिकीय मार्गनिर्देशों का भी प्रकाशन किया है।

1. मत्स्यन प्रचालन
2. प्रग्रहण मात्स्यिकी और जातियों की प्रस्तुति में वारणिक अभिगम
3. मात्स्यिकी का तटीय क्षेत्र प्रबन्धन में एकीकरण
4. मात्स्यिकी प्रबन्धन
5. जलकृषि विकास
6. अंतःस्थलीय मात्स्यिकी
7. उत्तरदायी मछली उपयोग
8. समुद्री प्रग्रहण मात्स्यिकी के टिकाऊ विकास के लिए सूचक
9. पोत मोनिटरिंग प्रणालियाँ

अधिकतर देशों की प्रग्रहण मात्स्यिकी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि संपदाएं सार्वजनिक संपत्ति होती है, अतः यह सब के लिए खुला एवं मुक्त है। अतः सार्वजनिक संपत्ति का नियमन करने और उत्तरदायी मत्स्यन संकल्प लागू करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत कई कारणों से इसकी मात्स्यिकी संपदाओं के विकास और प्रबन्धन में विचारणीय कठिनाइयाँ झेल रही है। भारतीय उपमहाद्वीप अत्यन्त विशाल, समुद्री तट अत्यन्त लंबा और पारिस्थितिकी वैविद्यपूर्ण होती है। मात्स्यिकी संपदाएं भी मात्स्यिकी प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों की तरह विविध है। मात्स्यिकी प्रबन्धन और विकास के जिम्मेदारियाँ और कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों जिनकी नीतियाँ और पहुँच अलग अलग हो, के बीच विभाजित है।

उपर्युक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त भारत में कई सामान्य समस्याएं भी है। आज भारत की तटीय मात्स्यिकी में नए या चालू पोतों के प्रवेश के लिए कोई प्रभावी लाइसेंसिंग प्रणाली नहीं है। मत्स्यन प्रयास का विशेषतः अभितटीय, परंपरागत मत्स्यन तलों के प्रभावी नियमन के लिए मत्स्यन बेडाओं का नियन्त्रण करना अनिवार्य है। उचित विपणन प्रणाली की अनुपस्थिति भारतीय मात्स्यिकी की और एक कमी है। अतः मत्स्यन प्रयास, पकड, प्रचालन क्षेत्र और बिक्री संबंधी विवरण दर्ज करने के लिए मात्स्यिकी के लाइसेंसिंग के रूप में एक लोगबुक का अनुरक्षण अनिवार्यतः करना चाहिए। यहाँ मत्स्यन मौसम, मत्स्यन क्षेत्र, संभार का जलाक्षि आयाम आदि नियंत्रित करने के लिए कानून होने पर भी इसका समुचित निगरानी नहीं हो रही है। उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी के लिए आचरण संहिता इस प्रकार के पहलुओं पर उचित व्यवहार के लिए उपयुक्त सलाह देती है।

## निष्कर्ष

उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी के लिए आचरण संहिता का प्रमुख लक्ष्य मात्स्यकी का विस्तृत विकास और प्रबन्धन है। मात्स्यिकी के ज़रिए खाद्य, रोज़गार, मनोरंजन, व्यापार और आर्थिकी में टिकाऊ एवं सार्वभौमिक सुरक्षा उपलब्ध कराना इस संहिता का परम ध्येय है। संपदाओं के अनुसंधान और निर्धारण में मछुआरों की भागीदारी इस आचरण संहिता का मौलिक सिद्धान्त है, क्योंकि प्रबन्धन में सहभागित्व मछुआरों को प्रभव निर्धारण की अस्थिरता समझने में सहायता करेगी तद्वारा उपलब्ध प्रभव निर्धारण की गुणता बढ़ाने में और समुचित प्रबन्धन निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगी।

संबंधित मात्स्यिकी के प्रबन्धन में उपभोक्ता वर्गों को शामिल करने का एक प्रमुख उद्देश्य है, मात्स्यिकी प्रबन्धन निर्णयों के लिए रूपायित अनुसंधान और डाटा संग्रहण कार्यक्रम में इनका सक्रिय सहभागित्व। इसमें मात्स्यिकी संपदाओं के प्रबन्धन और मत्स्यन परिचालनों से संबन्धित "वारणीय अभिगम" शामिल है। यह संहिता मात्स्यिकी संपदाओं के प्रबन्धन एवं मत्स्यन परिचालनों के संबंध में एक "वारणीय उपाय" की सिफारिश करती हैं; यह एक संरक्षण प्रौद्योगिकी उपयोग करने के लिए भी सिफारिश करती है। संहिता के अधिकतर भाग गरीब लोगों की टिकाऊ जीविका को ज़ोर देने वाले उपायों से संपुष्ट है। भारत की वर्तमान स्थिति से मुकाबला करने के लिए संहिता के तरीकाओं का उपयोग किया जा सकता है। भारत के विकासीय के कार्यक्रमों एवं संहिता का संयुक्त उपयोग मात्स्यिकी सेक्टर के विकास और प्रबन्धन के लिए अनुकूल उपाय प्रदान करेगा।

**मुख्य शब्द/Keywords.**
जी डी पी GDP - सकल घरेलू उत्पादन
सीमांतर्गत जलक्षेत्र - territorial waters